हरियाणा विधान सभा चौदहवीं विधान सभा
कार्य सूची
मार्च सत्र 2024
13 मार्च 2024

----

1. शोक प्रस्ताव।

(1) एक मंत्री स्वर्गीयः-

1. श्री फकीर चन्द अग्रवाल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष;

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

2. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।

(1) एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

3. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।

(1) एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

4. विश्वास प्रस्ताव।

(1) मुख्यमंत्री यह प्रस्ताव करेंगे की यह सदन मंत्री परिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है।

5. परिशिष्ट।

(1) राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, उचाना मंडी (जींद) के तत्कालीन प्रधानाचार्य (श्री करतार सिंह) द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में वर्ष 2005 से 2023 तक की अवधि के लिए जांच हेतू गठित की गई हरियाणा विधान सभा की तथ्यान्वेषी समिति के चेयरपर्सन द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

(i)

तथ्यान्वेषी समिति के चेयरपर्सन

हरियाणा विधान सभा की तथ्यान्वेषी समिति जो कि वास्तव में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, उचाना मंडी (जींद) के तत्कालीन प्रधानाचार्य (श्री करतार सिंह) द्वारा यौन उत्पीड़न के मामलें में वर्ष 2005 से 2023 तक की अवधि के लिए सदन की अपनी बैठकें दिनांकित 15 तथा 18 दिसंबर, 2023 में उल्लेखित/चर्चा की गई सभी घटनाओं की जांच के लिए गठित की गई थी। इस मामले में, हरियाणा विधान सभा के आगामी सत्र की पहली बैठक अर्थात् फरवरी, 2024 में समिति का प्रतिवेदन करना वस्तुतः अपेक्षित था। चूँकि मामला अत्याधिक संवेदनशील है। इसलिए समिति का विचार था कि विस्तृत जाँच के बिना समीक्षाधीन मामले पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। जबकि यह मामला समिति के सक्रिय विचाराधीन है। परिणामस्वरूप, समिति ने 20 फरवरी, 2024 को सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करके अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के लिए हरियाणा विधान सभा के आगामी सत्र की प्रथम बैठक अर्थात् आज 13 मार्च, 2024 से आरम्भ होने वाले वर्तमान सत्र तक अतिरिक्त समय चाहा था। समिति आगे सिफारिश करती है कि कृपया प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय हरियाणा विधान सभा के अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढाया जाए।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय हरियाणा विधान सभा के अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढाया जाए।

(2) विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति की चौथी प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

(i)

विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सन

श्री जोगी राम, एम.एल.ए और श्री अनूप धानक, एम.एल.ए द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2023 को श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए के विरुद्ध दी गई निम्नलिखित सूचना अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न सम्बन्धी विशेषाधिकार समिति की चौथी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह मामला सदन द्वारा 21 फरवरी, 2023 को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। समिति को अगले सत्र की प्रथम बैठक यानी 13 मार्च, 2024 तक सदन को एक रिपोर्ट बना कर देनी थी। समिति पहले ही कई अवसरों पर श्री जोगी राम सिहाग, एम.एल.ए. तथा श्री अनूप धानक, एम.एल.ए. को उनके मौखिक साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए आग्रह कर चुकी है। जबकि माननीय सदस्य समिति के समक्ष अब तक उपस्थित नहीं हुए। समिति ने 13.03.2024 को हुई अपनी बैठक में श्री जोगीराम सिहाग, एम.एल.ए. तथा श्री अनूप धानक, एम.एल.ए. को मौखिक साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने का एक और अवसर दिया। क्योंकि यह मुद्दा समिति के सक्रिय विचाराधीन है और विस्तृत जांच और अनिवार्य प्रक्रियात्मक पहलुओं का पालन करने की आवश्यकता है इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि अंतिम रिपोर्ट बनाने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

राजेन्द्र कुमार नांदल

Chandigarh-160001

दिनांकः13 मार्च 2024 01:22 PM